



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग-4, खण्ड (ख)
(परिनियत आदेश)

लखनऊ, रविवार, 25 जनवरी, 2026

माघ 5, 1947 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2

संख्या 183/81-2-2026-29(55)-2025

लखनऊ, 25 जनवरी, 2026

अधिसूचना

प0आ10-23

चूँकि नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि, भारतीय वन अधिनियम, 1927 (अधिनियम संख्या 16 सन् 1927) के अधीन 'संरक्षित वन' के रूप में घोषित किये जाने के लिये प्रस्तावित की गयी है;

और, चूँकि, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (3) के अधीन यह परीक्षण किया गया है कि पूर्वोक्त भूमि को संरक्षित वन के रूप में घोषित करने से किसी भी व्यक्ति के अधिकारों से वंचित नहीं किया जा रहा है;

अतएव, अब, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि को इस अधिसूचना के सरकारी गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से 'संरक्षित वन' घोषित करते हैं और यह भी अधिसूचित किया जाता है कि राज्य सरकार द्वारा प्रकाशित किन्हीं नियमों के अधीन समस्त ऋतुओं में उक्त भूमि पर प्रदत्त समस्त अधिकार और विशेषाधिकार अबाध रूप से जारी रहेंगे।

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम	गाटा संख्या	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	सीमा विवरण
1	2	3	4	5	6
हमीरपुर	राठ	कुछेछा	78मि0	4.068	उत्तर-सीमा-केपीएन 78मि0 का अवशेष भाग। पूरब-सीमा-केपीएन 78 (आरक्षित वनभूमि) दक्षिण-सीमा-केपीएन 78मि0 का अवशेष भाग। पश्चिम-सीमा-केपीएन 78मि0 का अवशेष भाग।
			कुल	4.068	

आज्ञा से,
अनिल कुमार,
प्रमुख सचिव।

THE Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 183/LXXXI-2-2026-29(55)-2025, dated January 25, 2026 :

No. 183/LXXXI-2-2026-29(55)-2025

Dated Lucknow, January 25, 2026

WHEREAS the land mentioned in the Schedule below has been proposed to be declared as 'protected forest' under the Indian Forest Act, 1927 (Act no. 16 of 1927);

AND, WHEREAS, it has been examined under sub-section (3) of Section 29 of the aforesaid Act that no rights of any person are being deprived by declaring the aforesaid land as protected forest;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers under Section 29 of the aforesaid Act, the Governor is pleased to declare the land mentioned in the Schedule below to be "protected forest" from the date of publication of this notification in the Official *Gazette* and it is also notified that all rights and privileges conferred on the said land across all seasons under any rules published by the State Government shall continue unabated.

SCHEDULE

District	Tahsil	Name of Village	Gata no.	Area (in Hectares)	Boundary Description
1	2	3	4	5	6
			78Mi	4.068	North -Boundary-Remaining Part of KPN 78Mi East -Boundary-KPN 78 (Reserve Forest land) Sourth -Boundary-Remaining Part of KPN 78Mi West -Boundary-Remaining Part of KPN 78Mi
			Total	4.068	

By order,
ANIL KUMAR,
Pramukh Sachiv.